राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एमई / ग्रुप–1 / 2021 जयपुर, दिनांक : 2 DEC 2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07.2021 के द्वारा डॉ. विवेक रावत (मेरिट संख्या–06, वर्ग–ST) को सहायक आचार्य, कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरोसिक सर्जरी के पद पर नवनियुक्ति प्रदान कर, मेडिकल कॉलेज, अजमेर में पदस्थापित किया गया था तथा कार्यग्रहण हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि दी गई।

डॉ. रावत के स्वंय के निवेदन पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.07.2021 के द्वारा कार्यग्रहण अवधि में 03 माह की अभिवृद्धि प्रदान की गई। उक्त 3 माह की समयावधि में मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में कार्यग्रहण नहीं करने पर विभागीय समसंख्यक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11.11.2021 के द्वारा डॉ. रावत को निर्देशित किया गया कि नोटिस जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयावधि में मेडिकल कॉलेज, अजमेर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर, इस विभाग को अवगत करावें। उक्त तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगें। डॉ. रावत द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07.2021 के द्वारा डॉ. विवेक रावत का सहायक आचार्य, कार्डियो वस्कूलर एण्ड थोरोसिक सर्जरी के पद हेतु जारी किया गया नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,
2/12/2021
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.–7(38)(1–41)भर्ती 'ख' / गोपनीय / 2018–19 / 245 दिनांक 26.05.2021 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ. विवेक रावत, हाऊस नं. 7–सी–11, महावीर नगर एक्सटैंशन, नियर तीन बत्ती सर्किल, कोटा (राज.)–324009 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

2/12/21
(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव